

# गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट, अलीगढ़।

वित्तीय सत्र 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027

**चिकित्सालय मे रोगियो की सुविधा से जुड़ी अधोलिखित सुविधाओ हेतु इच्छुक निविदादाताओं/आवेदको हेतु निर्धारित नियम व शर्ते ।**

निविदादाताओं/आवेदको से अनुरोध है कि वह निम्न, शर्तो को भालीभाँति पढ़ने के उपरान्त निर्धारित शर्तो/नियमो की पात्रता रखने पर ही आवेदन प्रस्तुत करें व प्रत्येक सुविधा के लिये अलग-अलग आवेदन दें अन्यथा ऐसे आवेदन/निविदाओ को अमान्य घोषित कर दिया जावेगा । जो एक ही आवेदन पत्र मे दो या अधिक सुविधाओ हेतु प्रस्तुत किये होंगे ।

## **अ.साइकिल स्टैण्ड—**

- 1- निविदादाताओ को अपना आवेदन मय फोटो व पुलिस विभाग के चरित्र प्रमाण पत्र के साथ सीलबन्द लिफाफे मे वास्ते आवेदन जिसके लिये आवेदन किया गया हो प्रस्तुत करना होगा।
- 2- यह कि निविदादाता द्वारा अपने-अपने निविदा फार्म/आवेदन मे घोषित निविदा मूल्य का 10% निविदा शुल्क/प्रतिभूति बजरिये ड्राफ्ट अनिवार्य रूप “**सचिव, गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट**” के नाम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 3- यह कि निविदादाता/आवेदक को ठेका साइकिल स्टैण्ड के किसी प्रतिष्ठित संस्थान मे 03 वर्षो के सन्तोषजनक ठेका संचालन करने का अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
- 4- यह कि जिन निविदादाताओ/आवेदको की निविदा अस्वीकृत/अयोग्य घोषित की जावेगी वह अपनी प्रतिभूति सम्बन्धी जमा कराए गये ड्राफ्ट को आगामी कार्य दिवस मे वापस प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।
- 5- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को निविदा स्वीकृति की स्थिति मे घोषित वार्षिक निविदा मूल्य की 50% धनराशि 3 दिन के अन्दर कार्यालय मे बजरिये रसीद जमा करानी अनिवार्य होगी अन्यथा द्वितीय वरीयता सम्बन्धी आवेदक के पक्ष मे उक्त निविदा स्वीकृति कर दी जावेगी । पात्र निविदादाता को शेष 50प्रतिशत धनराशि माह अक्टूबर 2026 के प्रथम सप्ताह मे अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी अन्यथा उसके आवंटन को निरस्त कर ठेके का कब्जा दखल चिकित्सालय प्रशासन एक पक्षीय रूप से प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
- 6- पात्र निविदादाता/आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा कराई गई 10% प्रतिभूति/धरोहर धनराशि को चिकित्सालय बतौर सिक्यूरिटी अपने खाते मे जमा रखेगा व उक्त प्रतिभूति निविदा अवधि समाप्त होने के बाद बिना किसी ब्याज के सभी विभागो के क्लीऐरेन्स के उपरान्त आगामी 3 माह मे वापस कर दी जावेगी व प्रतिभूति सम्बन्धी धनराशि को किसी भी सूरत मे देय किशत मे समायोजित नही किया जावेगा । परन्तु ठेके की किसी भी अवधि मे यदि किसी दोष, अनुबन्ध की शर्तो, नियमो के उल्लंघन की दशा मे चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा ठेका निरस्त किया जाता है तो जमा धनराशि के साथ-साथ उक्त प्रतिभूति/धरोहर धनराशि चिकित्सालय प्रबन्धन जब्त करने का अधिकारी होगा जिसे कदापि वापस नही किया जावेगा ।
- 7- यह कि निविदा/ठेका अवधि मे कभी भी किसी भी समय चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन यह पाता है कि उक्त सुविधा का संचालन चिकित्सालय एवं रोगियो के हित मे नही है व उक्त

निविदादाता/आवेदक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं है व उसकी उपस्थिति व कार्यों से चिकित्सालय की छवि प्रतिष्ठा खराब हो रही है तो चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन एक पक्षीय रूप से उक्त आवंटन को निरस्त कर जमा समस्त धनराशि को जब्त कर लेगा।

- 8- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को कार्य संचालन से पूर्व कार्य स्थल पर उपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के नाम, पते का प्रमाण पत्र, फोटो व पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा व किसी भी स्टाफ को बदले जाने की सूचना से भी उपरोक्तानुसार अवगत कराना होगा।
- 9- यह कि ठेका संचालन हेतु पार्किंग दरों का निर्धारण चिकित्सालय प्रशासन द्वारा किया जावेगा जिसका पट्टिका पर प्रदर्शन साइकिल स्टैंड पर करना अनिवार्य होगा व निर्धारित धनराशि से अधिक की किसी भी रोगी से वसूली की सूचना/शिकायत पर आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यही नहीं पृथक-पृथक वाहनो हेतु निर्धारित शुल्क को दिये जाने वाली रसीद पर भी अंकित करना होगा। बिना धनराशि अंकन के किसी भी व्यक्ति को रसीद प्रदान नहीं की जावेगी। यह कि किसी भी स्थिति में बाहर के मासिक आधार पर वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 10- यह कि उपरोक्त के साथ-साथ पात्र आवेदक/निविदादाता को चिकित्सालय प्रबन्धन के साथ रु० 100/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नियमों, शर्तों के साथ अनुबन्ध मय दो गवाह सम्पन्न कराना अनिवार्य होगा व अनुबन्ध की किसी भी शर्त या नियम के उल्लंघन की दशा में आवंटी का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा व निर्धारित अनुबन्ध सम्पन्न हो जाने पर ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जावेगी अन्यथा ठेके को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी।
- 11- ठेकेदार को चिकित्सालय में आने वाले व भर्ती रोगियों उनके तीमारदारों के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्रीय, बाहरी व्यक्ति के किसी भी वाहन को पार्किंग की अनुमति नहीं होगी व चिकित्सालय में ऐसे खड़े वाहनो को अवैध पार्किंग मानते हुये ठेकेदार से प्रति कार रु० 100/- प्रतिदिन की दर से जुर्माना उसकी प्रतिभूति से गणना के साथ काटा जावेगा।
- 12- यह कि ठेकेदार द्वारा चिकित्सालय में अध्यनरत विद्यार्थियों, चिकित्सालय स्टाफ, उनके निवास पर आने वाले सम्बन्धियों, रिश्तेदारों चिकित्सालय में चल रहे कार्यों से जुड़ी फर्मों, व्यक्तियों, सरकारी कार्यों से आने वाले व्यक्तियों, प्रबन्ध मण्डल के सम्मानित सदस्यों, उनके परिजनों विशिष्ट अतिथियों, व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का शुल्क प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। ऐसे आगन्तुक अपना परिचय पत्र अथवा चिकित्सालय द्वारा निर्गत पास या दूरभाष पर प्रदत्त निर्देशानुसार उनका प्रमाणन करेंगे। जिन्हे बिना शुल्क प्रवेश की अनुमति होगी।

### **ब.आप्टिकल शॉप—**

- 1- निविदादाताओं को अपना आवेदन मय फोटो व पुलिस विभाग के चरित्र प्रमाण पत्र के साथ सीलबन्द लिफाफे में वास्ते आवेदन जिसके लिये आवेदन किया गया हो प्रस्तुत करना होगा।
- 2- यह कि निविदादाता द्वारा अपने-अपने निविदा फार्म/आवेदन में घोषित निविदा मूल्य का 10% निविदा शुल्क/प्रतिभूति बजरिये ड्राफ्ट अनिवार्य रूप “सचिव, गाँधी आई हॉस्पिटल

ट्रस्ट” के नाम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

- 3- यह कि निविदादाता/आवेदक को ठेका आण्टिकल शॉप के किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय अथवा अन्यत्र किसी प्रतिष्ठित संस्थान में संचालन जो कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो व “स्टेट मैडीकल फैकल्टी, लखनऊ” अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से आवेदक को **द्विवार्षिक डिप्लोमा इन आण्टोमैट्री के प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी अनिवार्य रूप से संलग्न** करनी होगी अन्यथा आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।
- 4- यह कि जिन निविदादाताओं/आवेदकों की निविदा अस्वीकृत/अयोग्य घोषित की जावेगी वह अपनी प्रतिभूति सम्बन्धी जमा कराए गये ड्राफ्ट को आगामी कार्य दिवस में वापस प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
- 5- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को निविदा स्वीकृति की स्थिति में घोषित वार्षिक निविदा मूल्य की 50% धनराशि 3 दिन के अन्दर कार्यालय में बजरिये रसीद जमा करानी अनिवार्य होगी अन्यथा द्वितीय वरीयता सम्बन्धी आवेदक के पक्ष में उक्त निविदा स्वीकृति कर दी जावेगी। पात्र निविदादाता को शेष 50% धनराशि माह अक्टूबर 2026 के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी अन्यथा उसके आवंटन को निरस्त कर ठेके का कब्जा दखल चिकित्सालय प्रशासन एक पक्षीय रूप से प्राप्त करने का अधिकारी होगा व जमा प्रतिभूति भी जब्त कर ली जावेगी।
- 6- पात्र निविदादाता/आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा कराई गई 10 प्रतिशत प्रतिभूति/धरोहर धनराशि को चिकित्सालय बतौर सिक्यूरिटी अपने खाते में जमा रखेगा व उक्त प्रतिभूति निविदा अवधि समाप्त होने के बाद बिना किसी ब्याज के सभी विभागों के क्लीऐरेन्स के उपरान्त आगामी 3 माह में वापस कर दी जावेगी। परन्तु ठेके की किसी भी अवधि में यदि किसी दोष, अनुबन्ध की शर्तों, नियमों के उल्लंघन की दशा में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा ठेका निरस्त किया जाता है तो उक्त प्रतिभूति/निविदा मूल्य चिकित्सालय प्रबन्धन जब्त करने का अधिकारी होगा जिसे कदापि वापस नहीं किया जावेगा।
- 7- यह कि निविदा/ठेका अवधि में कभी भी किसी भी समय चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन यह पाता है कि उक्त सुविधा का संचालन चिकित्सालय एवं रोगियों के हित में नहीं है व उक्त निविदादाता/आवेदक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं है व उसकी उपस्थिति व कार्यों से चिकित्सालय की छवि प्रतिष्ठा खराब हो रही है तो चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन एक पक्षीय रूप से उक्त आवंटन को निरस्त कर जमा समस्त धनराशि को जब्त कर लेगा।
- 8- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को कार्य संचालन से पूर्व कार्य स्थल पर उपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के नाम, पते का प्रमाण पत्र, फोटो व पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा व किसी भी स्टाफ को बदले जाने की सूचना से भी उपरोक्तानुसार अवगत कराना होगा।
- 9- यह कि ठेका संचालन की अवधि में रोगियों को वितरित किये जाने वाले चश्मों की गुणवत्ता, दरो व काउन्टर पर उपलब्ध स्टाक, कार्य व्यवहार की समीक्षा चिकित्सालय प्रबन्धन प्रशासन द्वारा नियमित रूप से की जावेगी व किसी भी अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन अनियमितता

या कार्यव्यवहार में खामियाँ पाये जाने की स्थिति में ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी जिसका एक पक्षीय रूप से उत्तरदायित्व आवंटी पर होगा।

- 10- यह कि उपरोक्त के साथ-साथ पात्र आवेदक/निविदादाता को चिकित्सालय प्रबन्धन के साथ रु० 100/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नियमों, शर्तों के साथ अनुबन्ध मय दो गवाह सम्पन्न कराना अनिवार्य होगा व अनुबन्ध की किसी भी शर्त या नियम के उल्लंघन की दशा में आवंटी का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा व ठेके पर कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति अनुबन्ध सम्पन्न हो जाने के बाद ही प्राप्त की जा सकेगी।
- 11- यह कि आर्टिकल शॉप संचालन सम्बन्धी कार्यों में रोगियों से चश्मों के विरुद्ध ली जाने वाली धनराशि की रसीद, पर्चा आदि आवंटी को अपने स्तर से रोगी को प्रदान कराना होगा व उक्त कार्य से सम्बन्धित समस्त टैक्स आदि का लेखा जोखा व अदायगी स्वयं आवंटी का उत्तरदायित्व होगा। चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन का इससे कोई सरोकार नहीं होगा।
- 12- यह कि आवेदनकर्ता व्यक्ति/फर्म/संस्थान को अपना जी.एस.टी. पंजीकरण नम्बर अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र में उल्लिखित करना होगा। जिसकी छायाप्रति भी आवेदन के साथ प्रदान करानी होगी।

#### **स. ड्रग शॉप—**

- 1- निविदादाताओं को अपना आवेदन मय फोटो व पुलिस विभाग के चरित्र प्रमाण पत्र के साथ सीलबन्ध लिफाफे में वास्ते आवेदन जिसके लिये आवेदन किया गया हो प्रस्तुत करना होगा।
- 2- यह कि निविदादाता द्वारा अपने-अपने निविदा फार्म/आवेदन में घोषित निविदा मूल्य का 10% निविदा शुल्क/प्रतिभूति बजरिये ड्राफ्ट अनिवार्य रूप “**सचिव, गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट**” के नाम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3- यह कि निविदादाता/आवेदक को ठेका ड्रग शॉप के प्रतिष्ठित चिकित्सालय अथवा अन्यत्र ड्रग शॉप संचालन जो कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो का प्रमाण पत्र व आवेदक के नाम के किसी भी स्थान के ड्रग लाइसेन्स की छायाप्रति आयकर बिक्री कर, जी०एस०टी० आदि के पंजीकरण का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत को आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 4- यह प्रबन्धमण्डल द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें सम्पूर्ण एक वित्तीय वर्ष हेतु प्रभावी मानी जावेगी व पात्र निविदादाता/फर्म को उसमें एक वित्तीय वर्ष तक किसी भी परिस्थिति में कोई संशोधन, परिवर्तन(घटाने, बढ़ाने का)अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- 5- यह कि ड्रग शॉप पर आने वाले रोगियों, दवा क्रेताओं को ड्रगशॉप कान्ट्रेक्टर द्वारा प्रत्येक औषधि पर अंकित बिक्री मूल्य पर 10% की छूट अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होगी। जिसे रोगी को दिये जाने वाले बिल पर छूट को अंकित किया जावेगा।
- 6- यह कि जिन निविदादाताओं/आवेदकों की निविदा अस्वीकृत/अयोग्य घोषित की जावेगी वह अपनी प्रतिभूति सम्बन्धी जमा कराए गये ड्राफ्ट को आगामी कार्य दिवस में वापस प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
- 7- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को निविदा स्वीकृति की स्थिति में घोषित वार्षिक निविदा मूल्य की 50% धनराशि 07 दिनों के अन्दर कार्यालय में बजरिये रसीद जमा करानी अनिवार्य होगी अन्यथा द्वितीय वरीयता सम्बन्धी आवेदक के पक्ष में उक्त निविदा स्वीकृति

कर दी जावेगी। पात्र निविदादाता को शेष 25% धनराशि माह अक्टूबर 2026 के प्रथम सप्ताह में व शेष 25% धनराशि माह दिसम्बर 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी अन्यथा उसके आवंटन को निरस्त कर ठेके का कब्जा दखल चिकित्सालय प्रशासन एक पक्षीय रूप से प्राप्त करने का अधिकारी होगा व जमा प्रतिभूति एक पक्षीय रूप से जब्त कर ली जावेगी।

- 8- पात्र निविदादाता/आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रतिभूति/धरोहर धनराशि को चिकित्सालय बतौर सिक्यूरिटी अपने खाते में जमा रखेगा व उक्त प्रतिभूति निविदा अवधि समाप्त होने के बाद बिना किसी ब्याज के सभी विभागों के क्लीएरेन्स के उपरान्त आगामी 3 माह में वापस कर दी जावेगी। परन्तु ठेके की किसी भी अवधि में यदि किसी दोष, अनुबन्ध की शर्तों, नियमों के उल्लंघन की दशा में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा ठेका निरस्त किया जाता है तो उक्त प्रतिभूति/निविदा मूल्य चिकित्सालय प्रबन्धन जब्त करने का अधिकारी होगा जिसे कदापि वापस नहीं किया जावेगा।
- 9- यह कि निविदा/ठेका अवधि में कभी भी किसी भी समय चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन यह पाता है कि उक्त सुविधा का संचालन चिकित्सालय एवं रोगियों के हित में नहीं है व उक्त निविदादाता/आवेदक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं है व उसकी उपस्थिति व कार्यों से चिकित्सालय की छवि प्रतिष्ठा खराब हो रही है तो चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन एक पक्षीय रूप से उक्त आवंटन को निरस्त कर जमा समस्त धनराशि को जब्त कर लेगा।
- 10- यह कि पात्र निविदादाता/आवेदक को कार्य संचालन से पूर्व कार्य स्थल पर उपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के नाम, पते का प्रमाण पत्र, फोटो व पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा व किसी भी स्टाफ को बदले जाने की सूचना से भी उपरोक्तानुसार अवगत कराना होगा।
- 11- यह कि ठेका संचालन की अवधि से रोगियों को प्रदान की जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता दरो व स्टाक, कार्यव्यवहार की समीक्षा समय-समय पर ड्रग इन्स्पेक्टर, चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन द्वारा की जावेगी व किसी भी अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन, अनियमितता कार्यव्यवहार, खामियाँ पाये जाने की स्थिति में ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी जिसका एक पक्षीय रूप से उत्तरदायित्व आवंटी पर होगा।
- 12- यह कि ड्रग शॉप संचालन सम्बन्धी कार्यों में रोगियों से औषधि आपूर्ति के विरुद्ध ली जाने वाली धनराशि की रसीद, बिल, पर्चे आदि आवंटी स्वयं रोगियों को अपने स्तर से प्रदान करेगे व उक्त कार्य से सम्बन्धित समस्त आयकर, जी०एस०टी० टैक्स आदि-आदि का लेखा जोखा व अदायगी स्वयं आवंटी का उत्तरदायित्व होगा। चिकित्सालय प्रबन्धन/प्रशासन का इससे कोई सरोकार नहीं होगा। जिसे किसी भी प्रकार से चुनौती/प्रतिवाद का अधिकार आवेदनकर्ता को नहीं होगा।
- 13- यह कि आवेदनकर्ता को अपने आवेदन के साथ विगत दो वर्ष के बिक्री कर व आयकर रिटर्न के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उसके आवेदन को समिति द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सभी सुविधाओं से जुड़े ठेको/आवंटन सम्बन्धी प्राप्त प्रार्थना पत्र/निविदाओं को चिकित्सालय हित में निरस्त करने भले ही उनके द्वारा घोषित निविदा धनराशि सर्वाधिक व प्रथम

वरीयता के क्रम मे प्रस्तुत की गई हो को भी चिकित्सालय हित में अमान्य करने निरस्त करने, नियमो, शर्तो मे यथा आवश्यक संशोधन परिवर्तन करने नये निम्न प्रख्यापित करने चिकित्सालय एवं रोगियो के हित, परिसर की कानून व्यवस्था, अनुशासन को बनाए रखने जैसे विषयो पर समिति को एक पक्षीय रूप से निर्णय लेने का अधिकार होगा। जिसे आवेदक/आवंटी/निविदादाता को एक पक्षीय रूप से मानने की बाध्यता होगी। जिसे किसी भी प्रकार से चुनौती/प्रतिवाद का अधिकार आवेदनकर्ता को नहीं होगा। गत वर्षो मे कार्यरत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों, अनुबन्ध का पालन न करने सम्बन्धी शर्तो, उनके आचरण की समीक्षा के आधार पर ही उन्हें पुनः उनकी पात्रता के आधार पर ठेके का आवंटन किये जाने पर विचार किया जावेगा व उनके साथ कालान्तर मे किये गये पत्राचार, चेतावनी आदि का विशेष संज्ञान लिया जावेगा।

यदि आवेदक/निविदादाता उपरोक्त शर्तो नियमो के पालन से सहमत हो तभी अपना आवेदन पत्र सील बन्द “**सचिव, गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट**” के नाम लिफाफे पर निविदा वास्ते जिसके लिये वह आवेदन कर रहा हो लिखकर निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत कर सकता है प्रत्येक सुविधा/ठेके के लिये पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य है व निविदा खोले जाते समय केवल समिति के सम्मुख निविदादाता की उपस्थिति की ही अनुमति होगी अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रवेश प्रदान नहीं किया जावेगा।

**नोट:-**

- 1-निविदा फार्म की बिक्री/प्राप्ति दिनांक 23.03.2026, अपराह्न 4.00 बजे तक।
  - 2- निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 24-03-2026 सायंकाल 4.00 बजे तक।
  - 3- निविदा खोले जाने की तिथि दिनांक 25-03-2026 सायंकाल 5.00 बजे से।
- स्थान: प्रशासनिक भवन, गाँधी आई हॉस्पिटल परिसर, अलीगढ़।

**वी० के बजाज**  
**सचिव**

**गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट, रामघाट रोड, अलीगढ़ (उ०प्र०)**

फोन नं० 9219445004, 9219445005

E mail- [gandhieye@gmail.com](mailto:gandhieye@gmail.com)वेबसाइट- [www.gandhieyehospitalaligarh.in](http://www.gandhieyehospitalaligarh.in)

फोटो

**निविदा फार्म**

(चिकित्सालय मे साइकिल स्टैण्ड, आप्टिकल शॉप व ड्रगशॉप के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र)

- 1- आवेदक का नाम :.....
  - 2- पिता का नाम :.....
  - 3- उम्र :.....
  - 4- फर्म का नाम(यदि कोई हो तो):.....  
:.....
  - 5- ठेके का नाम जिसके लिये आवेदन किया गया है :.....
  - 6- स्थाई पता :.....  
:.....  
:.....
  - 7- दूरभाष नं०: कोड नं०:.....पी०एन०टी० नं०:.....  
:मोबाइल नं० :.....
  - 8- पैन कार्ड नं० :.....
  - 9- जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या:.....
  - 10-पते का प्रमाण पत्र(राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, टेलीफोन बिल, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स मे से किसी एक की छायाप्रति)।
  - 11- घोषित निविदा मूल्य(अंको में)रु० :.....  
(शब्दों में)रु० :.....
  - 12-प्रतिभूति घोषित मूल्य का 10% रु०:.....  
बैंक का नाम :.....
- डिमांड ड्राफ्ट का विवरण                      ड्राफ्ट नम्बर :.....  
दिनांक :.....

**(डिमांड ड्राफ्ट सचिव, गाँधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट, अलीगढ़ के पक्ष मे देय होगा)**

मैने उपरोक्त आवंटन सम्बन्धी समस्त नियम, शर्तों को भली भाँति पढ़ व समझ लिया है व मुझे सभी शर्तों, मान्य व स्वीकार है। यदि मेरे पक्ष मे निविदा स्वीकृत की जाती है तो मै निर्धारित मूल्य समय पर अदा करूँगा व सम्पन्न अनुबन्ध की शर्तों का पूर्णतः पालन करूँगा अन्यथा मेरा आवंटन निरस्त कर चिकित्सालय प्रशासन मेरी जमा प्रतिभूति को जब्त कर लें। **संलग्नको का विवरण-**

- |  |                          |                                 |                          |
|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1- चरित्र प्रमाण पत्र  | <input type="checkbox"/> | 7- ड्रग लाइसेन्स                | <input type="checkbox"/> |
| 2- डिमांड ड्राफ्ट  | <input type="checkbox"/> | 8- पैन कार्ड छायाप्रति          | <input type="checkbox"/> |
| 3- विगत तीन वर्ष के बिक्री कर व आयकर रिटर्न के प्रमाण पत्र की छायाप्रति<br>(वास्ते ड्रग शॉप) | <input type="checkbox"/> | 9- जी.एस.टी.पंजीकरण प्रमाण पत्र | <input type="checkbox"/> |
| 4- निवास प्रमाण पत्र   | <input type="checkbox"/> | 10-टिन नम्बर प्रमाण पत्र        | <input type="checkbox"/> |
| 5- डिप्लोमा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (वास्ते आप्टिकल शॉप)                                       | <input type="checkbox"/> |                                 | <input type="checkbox"/> |
| 6- अनुभव प्रमाण पत्र   | <input type="checkbox"/> |                                 |                          |

**आवेदक के हस्ताक्षर**